

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 184 / 2013

संस्थित दिनांक-13/08/2013

फाईलिंग नंबर-23030309692013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

- 1- कल्लू उर्फ मदुसूदन शर्मा पुत्र श्री महेशप्रसाद शर्मा,
उम्र 33 साल, स्थाई निवास ग्राम बिरखडी थाना गोहद चौराहा,
हाल निवासी रणधीर कॉलौनी गोले का मंदिर, ग्वालियर
- 2- गिरीश शर्मा पुत्र श्री परशुराम शर्मा,
उम्र 43 साल, स्थाई निवास ग्राम बिरखडी,
हाल निवास-आर्य नगर, मुरार ग्वालियर
- 3- अनिल उर्फ भूरा पुत्र श्री परशुराम शर्मा (बिरथरिया)
उम्र 34 साल, निवासी ग्राम बिरखडी थाना गोहद चौराहा
जिला भिण्ड म.प्र.आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक।

आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन शर्मा द्वारा श्री आर.डी. गुप्ता अधि०।

आरोपी गिरीश द्वारा श्री अबधबिहारी पाराशर अधिवक्ता।

आरोपी अनिल उर्फ भूरा द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 01/10/2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण कल्लू उर्फ मदुसूदन, एवं गिरीश के विरुद्ध धारा 307/34 भा0द0वि0 के तहत यह आरोप है कि उन्होंने 02/05/2013 के 07:15 शाम बजे ग्राम बिरखडी बंबा नहर के किनारे अंतर्गत थाना गोहद चौराहा में सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी विपिन शर्मा को

जान से मारने की नीयत से सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आग्नेयशस्त्र कट्टों से उस पर प्राणघातक फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती, तो आरोपीगण हत्या के दोषी होते ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि आरोपीगण गिरीश एवं अनिल उर्फ भूरा आपस में सगे भाई हैं और कल्लू उर्फ मदुसूदन उनका भतीजा है तथा, फरियादी शैलेन्द्र शर्मा तथा साक्षी विपिन, निकेश एवं आपस में चचेरे भाई हैं, एवं साक्षी अशोक, साक्षी निकेश जिसे निवेश भी कहा गया है, का पिता है। यह भी निर्विवादित है कि उभयपक्ष के मध्य आपस में पुरानी रंजिश संपत्ति एवं पार्टीबंदी को लेकर चली आ रही है और उनके बीच मुकदमेबाजी भी होती रही है ।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि घटना दि०-02/05/2013 को शाम को करीब 07:15 बजे जब फरियादी विपिन अपने चचेरे भाई शैलेन्द्र, निकेश व चाचा अशोक के साथ अपने घर से बंबा के पास खेत पर सरसों का भूसा भरने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गया था और भूसा भरकर जैसे ही वे लोग बंबा के किनारे पर आये, तब सामने से बंबा की दूसरी तरफ पार पर से तीनों आरोपीगण अनिल, कल्लू उर्फ मदुसूदन एवं गिरीश तथा उनके साथ एक अज्ञात व्यक्ति जोकि झांडी के पीछे छिपा था। उन्होंने कट्टों से उनपर निशाना लगाकर जान से मारने की नीयत से तीन चार फायर किए जिससे वह भयभीत हो गये और ट्रैक्टर से कूदकर दूसरी तरफ खेतों में भाग गये । भागते समय विपिन ने घरवालों को फोन से सूचित किया। ट्रैक्टर को शैलेन्द्र चला रहा था, अशोक ट्रैक्टर के बांये तरफ मटगार्ड पर बैठा था, विपिन व निकेश ट्रॉली के ऊपर भूसा की पोटली पर बैठे थे।
4. उक्त घटना की फरियादी विपिन शर्मा ने थाना गोहद चौराहा पर जाकर घटना के संबंध में प्र.पी.-06 की एक लेखीय शिकायत उक्त दि० को ही दी जिसपर से थाना गोहद चौराहा पर आरोपीगण व एक अज्ञात के विरुद्ध अप.क्र.-102/13 अंतर्गत धारा-307, 341, 34 भा.द.वि. पर कायम कर प्र.पी.-07 की एफ आई आर पंजीबद्ध कर घटना को विवेचना में लेकर प्र.पी.-09 का घटनास्थल का नक्शा मौका, साक्षियों के कथन, आरोपीगण की गिरफ्तारी, उनके मेमोरेण्डम कथन, जब्ती एवं घटनास्थल से खोखों की प्र.पी.-11 मुताबिक जब्ती पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोगपत्र जे.एम.एफ.सी. गोहद न्यायालय में पेश किया गया।

5. जे०एम०एफ०सी०, गोहद द्वारा प्रकरण में धारा-307 भा०द०वि० का अपराध होने से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड को दिनांक-01/08/2013 को उपार्पित किए जाने पर माननीय सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्रकरण इस न्यायालय को निराकरण हेतु विधिवत प्राप्त हुआ ।

6. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण कल्लू उर्फ महुसूदन, एवं गिरीश के विरुद्ध धारा 307/34, भा०द०वि० के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्तगण परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना बताया है। तथा उनकी ओर से बचाव साक्ष्य पेश की गयी है ।

7. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- 01- क्या, दिनांक-02/05/2013 को शाम करीब 07:15 बजे ग्राम बिरखडी में बंबा नहर के किनारे, फरियादी विपिन के खेत के पास आरोपीगण के द्वारा फरियादी विपिन शर्मा व अन्य पर प्राणघातक हमला करने के लिए आपस में मिलकर सामान्य आषय का निर्माण किया ?
- 02- क्या, आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना में फरियादी विपिन शर्मा एवं अन्य पर आग्नेयशस्त्र कट्टों से प्राणघातक फायर इस ज्ञान और विश्वास के साथ किया कि यदि उससे उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के अपराध के दोषी होते ?

—::—निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 01 व 02 का निराकरण

8. उक्त दोनों विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
9. इस संबंध में अभियोजन के कथानक में प्रकरण के फरियादी विपिन शर्मा द्वारा थाना गोहद चौराहा जाकर प्र.पी.-06 की लिखित रूप से शिकायत पेश की, जिसमें जो मूल घटना यह बतायी गयी है, कि दि०-02/05/2013 को शाम को करीब 07:15 बजे जब फरियादी विपिन अपने चचेरे भाई शैलेन्द्र, निकेश व चाचा अशोक के साथ

अपने घर से बंबा के पास खेत पर सरसों का भूसा भरने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गया था और भूसा भरकर जैसे ही वे लोग बंबा के किनारे पर आये, तब सामने से बंबा की दूसरी तरफ पार पर से तीनों आरोपीगण अनिल, कल्लू उर्फ मदुसूदन एवं गिरीश तथा उनके साथ एक अज्ञात व्यक्ति जोकि झांडी के पीछे छिपा था। उन्होंने कट्टों से उनपर निशाना लगाकर जान से मारने की नीयत से तीन चार फायर किए जिससे वह भयभीत हो गये और ट्रैक्टर से कूदकर दूसरी तरफ खेतों में भाग गये। भागते समय विपिन ने घरवालों को फोन से सूचित किया। ट्रैक्टर को शैलेन्द्र चला रहा था, अशोक ट्रैक्टर के बांये तरफ मडगार्ड पर बैठा था, विपिन व निकेश ट्रॉली के ऊपर भूसा की पोटली पर बैठे थे।

10. इस तरह से विपिन, शैलेन्द्र, निकेश व अशोक हत्या, के प्रयास के अपराध के पीडित बताये गये हैं। अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य संकलन उपरांत अभियोगपत्र पेश किया गया है, उसमें उक्त लोगों के कोई चिकित्सकीय साक्ष्य नहीं है, इसलिये उक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का मौखिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन करना होगा। क्योंकि बचाव पक्ष की ओर से रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लेते हुए कल्लू उर्फ मदुसूदन एवं गिरीश का घटना के काफी समय पूर्व से ग्वालियर में अपने परिवारों के साथ स्थाई रूप से निवासरत होना बताया है।

11. इस बिन्दु पर जो अभियोजन द्वारा साक्ष्य पेश की गयी है, उसमें कोई चिकित्सीय साक्ष्य हत्या के प्रयत्न के संबंध में नहीं है क्योंकि आग्नेयशस्त्रों से फायरिंग बतायी गयी है और फरियादी शैलेन्द्र साक्षी, विपेन्द्र उर्फ विपिन एवं निकेश एवं अशोक पर आरोपीगण के द्वारा फायरिंग करना बताया गया है, प्र.पी.-6 की लेखीय शिकायत सबसे पहले लेखबद्ध करायी, उसमें यह तो उल्लेख किया गया है कि कल्लू, गिरीश और अनिल व एक अज्ञात के द्वारा उनपर अर्थात् साक्षी शैलेन्द्र, विपिन, अशोक एवं निकेश पर कट्टों से फायरिंग की जाना बतायी गयी, ऐसे में उक्त चारों साक्षियों की साक्ष्य अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकित किए जाने योग्य हो जाती है। क्योंकि उभयपक्ष के मध्य रंजिश का बिन्दु विद्यमान है।

12. धारा-307 भा0द0वि के अपराध के प्रमाण हेतु अभियोजन की ऐसी विश्वसनीय साक्ष्य आवश्यक है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आरोपीगण के द्वारा आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में ऐसा कोई कार्य किया गया हो जिससे यदि उस कार्य के द्वारा किसी की मृत्यु

हो जाती है तो हत्या के प्रयत्न का दोषी होना माना जा सकता है । आग्नेय शस्त्रों से फायरिंग किए जाने का प्रयत्न इस प्रकृति का अवश्य होता है कि उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है । अर्थात् फायर करने वाले के बारे में यह माना जा सकता है कि उसका कार्य इस प्रकृति का है कि उसे यह ज्ञान है, कि उसके कार्य से जान जोखिम में पड़ सकती है या आशयपूर्वक ऐसा कार्य किया जाये तब भी अपराध आकर्षित होगा। या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों, जो स्वमेव प्राणघातक होने की पुष्टि करती हों ।

13. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दाण्डिक मामले में प्रमाण भार हमेशा अभियोजन पर ही होता है कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करे। बचाव पक्ष की किसी कमजोरी का लाभ अभियोजन नहीं उठा सकता है और न्याय दृष्टांत **भागीरथ विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी.ए.आई.आर. 1976 एस.सी. पेज-973** में यह मार्गदर्शित है कि अभियोजन जो कहानी लेकर चलता है, वह उसे ही साबित करनी चाहिये । इसलिये इस प्रकरण में जो कथानक बताया गया है उसे युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर ही रहेगा ।

14. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कथानक अनुसार घटना के विपिन उर्फ विपेन्द्र अ0सा0-05 निवेश अ0सा08 अशोक शर्मा अ0सा0-09 एवं शैलेन्द्र अ0सा0-10 पीडित बताये गये हैं। इसलिए उक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य का समेकित रूप से सर्वप्रथम मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष निकालना उचित व न्यायसंगत होगा। निर्विविवादित तथ्यों मुताबिक पीडित पक्ष एवं आरोपीगण के मध्य रंजिश का बिन्दु विद्यमान है और आरोपीगण के आपसी रिश्ते तथा उपरोक्त साक्षियों के आपस में एक ही परिवार के सदस्य होकर रिश्ते के साक्षी होने का बिन्दु भी स्थापित है और इस संबंध में उपरोक्त साक्षियों से बचाव पक्ष की ओर से किये गये विस्तृत प्रतिपरीक्षण में भी सुझाव देकर पूछा गया है इसलिए उक्त बिन्दुओं पर उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य में समरूपता से आयी स्वीकारोक्ति के बारे में प्रथक से निष्कर्ष निकाले जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि विपिन अ0सा0-05 के पैरा 13 लगायत 16 एवं 22 में तथा निवेश अ0सा0-08 के पैरा 03 में अशोकशर्मा अ0सा0-09 के पैरा 04, 05, 09, 17 एवं 18 में और शैलेन्द्र अ0सा0-10 के पैरा 03, 05, एवं 14 में रंजिश के बिन्दु पर दिये गये सुझावों में यह स्थापित हुआ है कि उभय पक्ष के मध्य सम्पत्ति को लेकर, पार्टीबंदी को लेकर, पुरानी रंजिश चली आ रही है तथा यह भी उनके अभिसाक्ष्य में आया है कि निवेश के भाई अवधेश

की हत्या हुयी थी जिसका प्रकरण भी उक्त आरोपीगण सहित उनके रिश्तेदार रामवरन पर चला है।

15. अवधेश की हत्या के संबंध में उपरोक्त साक्षियों पर प्रतिपरीक्षा में दिये गये सुझावों के आधार पर इस मामले में कोई प्रथक से निष्कर्ष दिये जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुस्थापित दाम्पिक विधि मुताबिक संबंधित प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार निराकरण करना होता है अर्थात् दूसरे प्रकरण की साक्ष्य को आधार बनाकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है जैसा कि न्याय दृष्टांत **नारायण एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2008 भाग 02 एम0पी0एच0टी0 पेज-138** में मार्गदर्शन दिया गया है, इसलिए इस प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य तथ्य परिस्थितियों के आधार पर विश्लेषण करना होगा।
16. पक्षकारों के मध्य जमीन करीब 25 साल पहले खरीदी जाना बतायी है तथा मुन्नालाल माहौर, दुर्गाप्रसाद उर्फ डी.पी. शर्मा, दिलदार खां नट आदि से भी रंजिश बतायी गयी है और रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। किन्तु रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार की तरह होता है जो दोनों तरफ से वार करती है अर्थात् जहां एक और रंजिशन झूठा फंसाये जाने की संभावना रहती है वहीं दूसरी ओर यह भी संभव है कि रंजिश के कारण ही घटना कारित की जाये जैसा कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रूली एवं अन्य वि० हरियाणा राज्य 2002 एस0सी0सी0 (किमनल) पेज 1837** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इसलिये इस आधार पर किसी भी साक्षी को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है किन्तु सावधानी के नियम का पालन करना अवश्य अपेक्षित हो जाता है।
17. रिश्ते के बिन्दु पर अ०सा०-05 अ०सा०-8 और अ०सा०-9 एवं अ०सा०-10 आपस में एक ही परिवार के सदस्य होकर रिश्ते के साक्षी अवश्य हैं किन्तु उनकी अभिसाक्ष्य निकट संबंधी होकर हितबद्ध साक्षी होने के आधार पर अविश्वसनीय माने जाने योग्य या त्यागे जाने योग्य नहीं है। इस संबंध में न्याय दृ० **अब्दुल सैयद विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2010 भाग-10 एस.सी.सी. पेज-259 एवं जित्ते विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2006 भाग-4 एम.पी.एच.टी. पेज-45 अवलोकनीय है।** हस्तगत मामले में भी शैलेन्द्र और विपिन निवेश और अशोक की एक साथ घटना के समय उपस्थिति बतायी गयी है, इसलिये उन्हें संयोगी साक्षी नहीं माना जा सकता है और निकट रिश्ते का साक्षी होने के आधार पर भी उन्हें अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। जैसा कि

न्याय दृ० भागलाल लोधी वि० स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई.आर. 2011 (एस.सी.) पेज-2292 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किंतु मामले में आग्नेय शस्त्रों से फायरिंग बताई गयी है। कोई घायल नहीं है, ऐसे में साक्षियों की किस बिन्दु पर कितनी विश्वसनीयता मानी जाये यह अवश्य सावधानीपूर्वक विश्लेषित किये जाने योग्य है।

18. विपिन्द्र उर्फ विपिन अ०सा०-05 ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक 02.05.2013 गुरुवार के दिन शाम करीब सात-सवा सात बजे की बताते हुए यह कहा है कि वह निवेश शैलेन्द्र और अशोक अपने ग्राम बिरखडी में घर से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपने पोखरा वाले खेत पर सरसों का भूसा भरने के लिए गये थे, कोई मजदूर साथ नहीं गया था और ट्रॉली में डाले तक भूसा भरा था उसके ऊपर 10-12 पोटलियों में भी भूसा भरा था और जब वे भूसा भरकर वापिस चले तो शिवनारायण और भवरसिंह के खेत के पास जैसे ही वह बंबा पर चढ़े तो आरोपीगण जो कि बंबा की दूसरी तरफ थे उन्होंने उन पर फायर किये जिन में से एक फायर ट्रॉली में रखी भूसा की पोटली में लगा, एक फायर ट्रॉली में लगा, वे डर के कारण शिवनारायण के खेत में भागे थे, आरोपीगण ने पीछा करके तीन चार फायर उन पर किये थे, जो जान से मारने की नियत से किये गये थे, फिर उसने घरवालों को फोन करके सूचना दी थी, घरवालों ने रिपोर्ट करने की बात कही थी, फिर आरोपीगण के चले जाने के करीब 10 मिनट बाद अकार उन्होंने ट्रॉली को वहीं छोड़कर ट्रैक्टर से थाना गोहद चोराहे पर जाकर रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट उसने थाने पर लिखित आवेदन देकर की थी जो आवेदन उसने थाने पर कम पढालिखा होने से किसी पुलिस वाले से लिखवाया था, जिसका नाम उसे याद नहीं है। साक्षी ने प्र.पी.-06 का लिखित आवेदनपत्र देना और उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हुए उसके आधार पर प्र.पी.-07 की एफ. आई.आर. दर्ज होना कहा है, पुलिस द्वारा घटना के दूसरे दिन मौके पर जाकर उसकी निशांदाही पर प्र.पी.-08 का नक्शामौका तैयार करना और पुलिस द्वारा 315 बोर के कारतूस के दो खोखे वहां से प्र.पी.-09 मुताबिक जब्त करना कहा है, जिनमें से एक खोखा बंबा की पार पर, दूसरा कैलाशी के खेत पर मिला था।

19. अ०सा०-05 ने अपने अभिसाक्ष्य में भूसे की पोटली में गोली लगने के बावत अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्नों में पोटली सफेद प्लास्टिक की पल्ली बताते हुए उसमें आधा इंची से अधिक बड़ा गोली घुसने जैसा छेद हो जाना बताया है, जिसे पुलिस ने जब्त किया था और यह भी कहा है, कि आरोपीगण के अलावा एक अन्य

अज्ञात व्यक्ति भी था, जिसे उसने देख लिया था। घर से खेत की दूरी तीन चार किलोमीटर बताई है और बंबा तक पक्का रोड उसके बाद खेत तक कच्ची सैर एक से डेढ़ हजार फिट की दूरी की बतायी है, कच्ची सैर में गड्ढे वगैराह होना भी बताया है। इसी प्रकार का साक्ष्य निवेश अ0सा0-08, अशोकशर्मा अ0सा0-9 एवं शैलेन्द्र अ0सा0-10 ने भी दिया है।

20. विपेन्द्र उर्फ विपिन अ0सा0-05 ने यह भी बताया है, कि घर से करीब दिन से साढ़े चार-पांच बजे चले थे और भूसा भरने में डेढ़ से दो घंटे लगे थे, पैरा-11 में बताया है, कि ट्रैक्टर को शैलेन्द्र चला रहा था। उसके दाहिनी तरफ मडगार्ड पर अशोक बैठा था, वह और निवेश ट्रॉली में रखी पोटलियों पर बैठे थे, आरोपीगण कैलाशी व चौबे के खेतों के पास बंबा की पार में छिपे थे, जो अज्ञात व्यक्ति था उसे भी देख लिया था, क्योंकि वह मुंह खोले था, जब फायरिंग हुई तब ट्रॉली पार पर नहीं चढ़ पाई थी और ट्रैक्टर व ट्रॉली अक्षर 'एल' जैसे आकार में हो गई थी। पैरा-12 में उसने पहली गोली अनिल द्वारा चलाई जाना और भूसा की तीसरे नंबर की पोटली में लगना दूसरी गोली गिरीश द्वारा चलाई जाना और ट्रैक्टर में लगना बताते हुए, यह भी कहा है, कि पहली गोली चलते ही वे खेत की तरफ कूद गये थे और चार छः खेत निकल कर रुके थे, पीछे मुड़कर नहीं देखा था। पैरा-19 में उसने यह भी बताया है, कि सभी आरोपीगण ने एक साथ फायर किये थे फायरिंग में करीब एक मिनट का समय लगा था फायर के बाद उन्होंने ट्रैक्टर रोक दिया था, चारों आरोपीगण उनकी तरफ भागकर आये थे और सौ, दो सौ कदम पीछा किया था आरोपीगण के भाग जाने के 10 मिनट बाद वे आये थे फिर ट्रैक्टर से थाने गये थे।

21. अ0सा0-05 ने इस बात से इंकार किया है, कि अवधेश की हत्या के प्रकरण में आरोपीगण के उपस्थित नहीं होने पर उसने और उसके परिजनो ने पुलिस से मिलकर झूठा मामला इसलिए बनवाया ताकि आरोपीगण हत्या के मामले में हाजिर हों। इस बात से भी इंकार किया है, कि जमीनी रंजिश के कारण दरोगाजी की सलाह पर ऐसा केस बनवाया कि खरोंच भी न आये और मामला गंभीर बन जाये साक्षी ने पैरा-23 में यह अवश्य स्वीकार किया है, कि आरोपी कल्लू अपने परिवार के साथ ग्वालियर में रहता है, लेकिन कितने समय से रहता है और क्या काम करता है, इसकी उसे जानकारी नहीं है। गिरीश के ग्वालियर में परिवार सहित रहने के संबंध में इंकार किया है।

22. अ0सा0-05 ने मूल घटना के संबंध में यह भी कहा है, कि

नक्शामौका बनाते समय ट्रॉली घटनास्थल पर खड़ी थी और उसने उसे पुलिस को दिखाया था, जिस पोटली में गोली लगी थी वह नीचे गिर गयी थी, पोटली में गोली आरपार हुई या नहीं यह उसने नहीं देखा, लेकिन गोली का निशान पुलिस को दिखा दिया था। ट्रॉली में गोली लगने से कोई छेद नहीं हुआ था। आरोपी गिरीश का घटना वाले दिन मिलना भी वह बताता है, उक्त साक्षी के मुताबिक खेत में भागते समय आरोपीगण के द्वारा तीन चार फायर करना बताये गये है, इसके अलावा एक फायर ट्रॉली में और एक फायर पोटली में लगना कहा है। यह भी कहा है, कि वह और निवेश अशोक और शैलेन्द्र चारों ट्रैक्टर से उतरकर एक ही ओर दक्षिण दिशा में भागे थे। आरोपीगण ने उनका पीछा किया था, उनके और आरोपीगण के बीच बीस-पच्चीस फिट की दूरी भागते समय रही होगी।

23. निवेश अ0सा0-08 के मुताबिक उन पर फायरिंग जान से मारने की नियत से की गई थी, एक गोली भूसे की पोटली में लगी थी, बाकी इधर-उधर निकल गई थीं। आरोपीगण ने 40-50 कदम उनका पीछा किया था। उनके और आरोपीगण के बीच तीस-चालीस फिट की दूरी भागते समय थी। भागते समय भी दो फायर उन पर किये थे, जो उन्हें नहीं लगे, जो बीस-पच्चीस फिट की दूरी से किये गये थे। भागते समय उसने यह नहीं देखा कि किसने कितने फायर किये हो सकता है, कि एक ही आरोपी ने तीन-चार फायर किये हों, फायर 315 बोर के कट्टे से किये गये थे, यह बात वह बरामद खोखों के आधार पर बताना कहता है, उसने भी आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन का घटना के पूर्व से ग्वालियर में रहना कहा है, किंतु ग्राम बिरखडी आते-जाते रहना भी बताया है।

24. अशोक अ0सा0-09 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है, कि घटना के समय सूरज डूब रहा था, लालिमा थी सूर्यास्त नहीं हुआ था। उसने घटनास्थल कच्चे रास्ते पर बताया है, जो 10-12 फिट चौड़ा होगा और एक ही वाहन वहां निकल सकता था, नहर बंबा की चौड़ाई भी 10-12 फिट होना बताते हुए घटनास्थल के उत्तर में नहर बताई है, जिसके बाद कैलाशी और चौबे के खेत है, दक्षिण दिशा में शिवनारायण और भंवर सिंह के खेत बताये है, ट्रॉली में जो भूसे की पोटलियां ट्रॉली भरने के बाद ऊपर रखीं गयी थीं, उन पोटलियों में करीब चालीस किलो के हिसाब से भूसा होना बताया है। आरोपीगण का ट्रैक्टर के पीछे से बीस-पच्चीस फिट की दूरी से फायर करना बताते हुए, वह सभी आरोपीगण द्वारा तीन-तीन, चार-चार फायर करना कहता है। भूसे की पोटली में जो गोली लगी थी, उससे चार अंगुल का छेद हो जाना और

करीब दो मुद्दी भूसा जल जाना बताते हुए पुलिस को दिखाना कहा है, भूसे की पोटली में गोली नहीं मिली थी। इस बात से इंकार किया है, कि पोटली में लोहे का गर्म सरिया घुसा कर छेद बनाया गया, ताकि मुकद्मे को बल मिले।

25. शैलेन्द्र अ०सा०-10 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है, कि उसने आरोपीगण को फायर करते समय देखा था, झाड़ीयों में बैठा नहीं देखा, उसके मुताबिक पूरी घटना में तीन चार फायर हुये थे, जिनमें से एक भूसे की पोटली में लगा जिससे पोटली में छेद हो गया लेकिन भूसा जला या नहीं यह उसने नहीं देखा था पुलिस ने पोटली उतरवाकर थाने में रख ली थी पोटली में गोली निकली या नहीं यह भी उसे पता नहीं है। उसके मुताबिक जब वे ट्रेक्टर ट्रॉली पर बैठे थे तब तीन चार फायर हुये थे और जब ट्रेक्टर से कूद कर भागे थे और आरोपीगण ने उनका पीछा किया था उस समय उन पर फायर नहीं किये गये थे। पहली गोली चलते ही वे चारों बचने के लिए कूद कर भागे थे फिर वह तीन चार फायर होने के बाद भगना कहता है। आरोपीगण का वह झाड़ीयों में छिपना बताता है और प्र.डी.-03 के कथन में पुलिस को लिखाना कहता है।

26. घटना की विवेचना करने वाले ए०एस०आई० सुभाष पाण्डेय अ०सा०-13 ने अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी विपिन शर्मा की प्र.पी.-06 की लेखीय रिपोर्ट पर से प्र.पी.-07 की एफ०आई०आर० पंजीबद्ध करना और विवेचना में घटना के दूसरे दिन मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण कर प्र.पी.-08 का नक्शामौका तैयार करना, तत्पश्चात् उपरोक्त चारों साक्षियों के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना, घटनास्थल से 315 बोर का एक खोखा तथा दूसरा खोखा खेत से एवं एक प्लास्टिक की सफेद पल्ली, जिसमें आधे इंच से बड़ा गोली धसने जैसा छेद था, उसे प्र.पी.-09 का जब्तीपत्र बनाकर जब्त करना बताया है। नक्शामौका सुबह करीब साढ़े नौ बजे बनाना बताते हुए यह भी कहा है, कि घटना के बाद वह रात को मौके पर गया था, किंतु अंधेरा होने के कारण मौके पर कार्यवाही नहीं की थी, घटनास्थल को सुरक्षित कर दिया था, भूसा की पोटली जिसमें गोली लगना बताया था, उसे खोलकर देखा था, लेकिन उसमें गोली नहीं निकली थी, थोड़ा बहुत भूसा जला था, जिसे उसने जब्त नहीं किया था, विवेचक ने आर्टिकल ए-1 की भूसे की पल्ली में कालापन लिये हुए एक ही छेद होना स्वीकार किया है और यह भी कहा है, कि गोली निकलकर कहीं चली गई होगी। इस बात से इंकार किया है, कि पल्ली में लोहे के सरिया से छेद किया गया है।

27. बचाव पक्ष की ओर से उपरोक्त चारों साक्षियों का अभिसाक्ष्य पुरानी रंजिश के चलते और अवधेश की हत्या का मामला पंजीबद्ध हो जाने के बाद भी आरोपीगण के गिरफ्तार न होने के कारण दबाव बनाने के उद्देश्य से पुलिस से मिलकर झूठी कहानी गढ़ कर मामला बनाया जाना बताते हुए, मामला काल्पनिक होने का तर्क दिया है, साथ ही आरोपीगण का घटना के पूर्व से ही गांव में न होना बताते हुए कल्लू उर्फ मधूसूदन एवं गिरीश का अपने अपने परिवारों के साथ ग्वालियर में रहना बताते हुए यह भी कहा है कि यदि घटना वास्तविक होती तो घटना करने वाले चार व्यक्ति बताये गये हैं चारों पर 315 बोर के देशी कट्टे बताये हैं और कई गोलियां चलना कहा है और पीछा करना भी कहा है यदि ऐसा होता तो किसी न किसी साक्षी को कोई न कोई गोली अवश्य लगती, जबकि ऐसा नहीं है। भूसा की जो पोटली जब्त की गयी है उसमें गोली का एक छेद बताया गया है, जो वास्तव में गोली का है ऐसी साक्ष्य नहीं है, न ही पोटली में गोली मिली है, इसलिए चारों साक्षी असत्य कथन कर रहे हैं और उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता और मामला संदिग्ध है, जबकि अभियोजन की ओर से चारों साक्षियों की साक्ष्य स्वभाविक होने का तर्क करते हुए उन पर विश्वास किये जाने का निवेदन किया गया है।

28. घटना का आधार प्र.पी.-06 की लेखीय रिपोर्ट है, जिस पर रिपोर्टकर्ता विपिन शर्मा अपने केवल हस्ताक्षर बताता है, पढालिखा न होने से किसी पुलिसवाले से उसे थाने पर ही लिखवाया जाना बताता है, जिसका उसे नाम तक ध्यान नहीं है। जबकि घटना के विवेचक ए 0एस0आई0 सुभाष पाण्डेय अ0सा0-13 ने उक्त फरियादी का आवेदन लेकर थाने पर उपस्थित होना बताया है। थाने पर रिपोर्ट किसी पुलिस कर्मी की सहायता से लिखाये जाने की वह पुष्टि नहीं करता है, न ही अन्य महत्वपूर्ण साक्षी अ0सा0-08 लगायत अ0सा0-10 के अभिसाक्ष्य में यह बात आयी है, कि प्र.पी.-06 का आवेदन थाने पर ही लिखवाया गया हो, जबकि निवेश, आशोक सहित विपिन का थाने पर घटना के तत्काल पश्चात ट्रैक्टर से एक साथ जाना बताया गया है। इसलिए अ0सा0-05 के पैरा में बतायी गयी उक्त बात विकासात्मक स्वरूप की है, घटना के समय ट्रैक्टर ट्रॉली की जो स्थिति बताई गयी है, कि ट्रॉली में डाले तक भूसा भरा गया था उसके बाद उस पर 10-12 भूसे की पोटलियां रखी गयी थीं, ऐसी स्थिति में पोटलियों के ऊपर दो व्यक्तियों का बैठकर जाना स्वभाविक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि जिस खेत से भूसा भरकर चलना बताया है, उस खेत से लेकर बंबा नहर की पक्की

सड़क के बीच करीब एक डेढ़ हजार फिट की दूरी बतायी गयी है, वह कच्ची सैर के रूप में है, वहां से एक ही वाहन निकल सकता है, तथा कच्ची सैर में जो खेत के लिए गयी हो उसमें रास्ता भी सममतल नहीं होता है और रास्ते में गड़डे होना भी स्वीकार किया गया है। ऐसे में विपिन और निवेश का भूसा की पोटलियों पर बैठकर जाना ही स्वभाविक नहीं है, जिससे घटना का बताये गये उद्भव के बारे में ही संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आरोपीगण का 315 बोर के अवैध कट्टे से लेश होकर पार में से निकलकर फायरिंग करना बताया है, पहली गोली भूसे की पोटली में लगना बताई गयी है, जिससे एक-दो अंगुल का छेद हो जाना कहा गया है। आर्टिकल ए-1 के रूप में प्लास्टिक की सफेद पोटली की पल्ली साक्ष्य में पेश की गयी है, जिसमें एक ही छेद बताया गया है, वह छेद किसी आग्नेय शस्त्र की गोली लगने से हुआ हो इस बारे में कोई जांच नहीं कराई गयी है। विवेचक ने स्वयं माना है कि उसने थोड़ा सा भूसा जो जला था उसे भी जब्त नहीं किया। आरोपीगण का ट्रैक्टर के से पीछे से आकर गोलीबारी करना पुरानी रंजिश पर से बताया गया है, भूसा भरी हुई पोटली में यदि बीस-पच्चीस फिट की दूरी से 315 बोर की गोली चलायी जाये तो यदि वह भूसे की पोटली में लगेगी तो निश्चित तौर पर पोटली में हवा के दबाव से पोटली फटेगी और भूसा बिखरेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। यदि यह माना जाये कि गोली भूसे में धंस गयी होगी, तो फिर पोटली के अंदर कारतूस का खोखा या उसके अवशेष मिलने चाहिए थे वह भी नहीं मिले, यदि यह माना जाये कि गोली कम दूरी से मारने पर अधिक वेग से आयेगी तो पोटली में आरपार छेद बनना चाहिए था, जबकि ऐसा भी आर्टिकल ए-01 में नहीं पाया गया है, इसलिए विवेचक सुभाष पाण्डेय अ0सा0-13 का यह कहना कतई ग्राह्य योग्य नहीं है, कि गोली इधर-उधर कहीं निकल कर चली गयी होगी, क्योंकि निकलने पर दो छेद एक प्रवेश का तथा दूसरा निकास का होगा। इससे गोली चलने और पोटली में लगने का तथ्य उपरोक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से विधि सम्मत तरीके से स्थापित नहीं होता है।

29. कथानक में यह भी बताया गया है, कि दूसरी गोली या तो ट्रैक्टर में लगी या ट्रॉली में लगी जैसा कि उक्त साक्षियों के कथन में आया है, किंतु न तो ट्रैक्टर जब्त किया गया और न ही ट्रॉली जब्त की गयी, न ही ट्रैक्टर या ट्रॉली के जिस भाग में गोली लगने से चिन्ह बना उसकी कोई जांच हुई, न फोटो लिया, न ही एफ0एस0एल0 टीम को बुलाकर जांच कराई गयी, जबकि उसी ट्रैक्टर से घटना के बाद फरियादी पक्ष थाने पर रिपोर्ट को जाना भी कहता है और विवेचक सुभाष पाण्डेय अ0सा0-13 रिपोर्ट दर्ज करने के बाद रात में ही मौके पर जाना भी

कहता है, निरीक्षण करना भी कहता है, हालांकि वह अंधेरे के कारण कार्यवाही न करते हुए घटनास्थल को संरक्षित कर देना बताता है, लेकिन दूसरे दिन जब वह मौके पर गया तब उक्त कार्यवाही बैज्ञानिक अधिकारी को बुलाकर करा सकता था, या स्वयं ही इस बात का कोई दस्तावेज तैयार कर सकता था, कि पोटली में गोली लगने से छेद बना और भूसा जल गया या बिखर गया घटनास्थल को रात में कैसे संरक्षित किया गया इस बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

30. घटनास्थल से जो प्र.पी.-11 मुताबिक 315 बोर के दो खोखे बरामद करना बताया गया है, जिनमें से एक खोखा घटनास्थल पर, दूसरा कैलाशी के खेत से बरामद करना बताया है, किंतु प्र.पी.-09 के नक्शा मौका में कैलाशी का खेत दर्शित नहीं है, न ही घटनास्थल से जब्त किये गये खोखे के बारे में ऐसा कोई नोट प्र.पी.-11 में नहीं लगाया गया है, कि खोखा कैलाशी के खेत में मिला या किसी खेत में मिला, जबकि फरियादी पक्ष दक्षिण दिशा की ओर कैलाशी और चौबे के खेत की ओर फायरिंग होने पर भागना बताते हैं।

31. अ0सा0-05 एवं अ0सा0-08 लगायत अ0सा0-10 के अभिसाक्ष्य में जो फायर किया जाना बताया गया है, उसमें कम से कम तीन-चार फायर से लेकर अधिकतम 10 से 12 फायर होना बताये गये हैं जिसमें से दो फायर का स्पष्टीकरण भूसे की पोटली और ट्रॉली में लगने का बताया गया है, जो कि साक्ष्य से स्थापित नहीं हो रहा है शेष फायर कहां हुये इसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य में इस बिन्दु पर भी विरोधाभास है कि वे पहला फायर होने पर ही ट्रैक्टर को छोड़कर कूदकर भागे या तीन-चार फायर ट्रैक्टर ट्रॉली पर रहते हुए हो गये शेष भागने पर हुये इसे अनदेखा भी किया जाये तो उपरोक्त साक्षियों के ट्रैक्टर ट्रॉली से कूदकर भागने पर भी आरोपीगण द्वारा उनका पीछा किया जाना और पीछा करते में फायर किया जाना भी बताया गया है, भागते समय जो फायर हुये उसमें साक्षियों और आरोपियों के बीच की दूरी बीस से पच्चीस फिट मात्र बताई गई है, इतनी कम दूरी के फासले से यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि निशानबाज न रहा हो वह भी किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर फायर करे तो गोली लगना स्वभाविक रूप से संभव है ऐसा स्वभाविक रूप से कतई संभव नहीं है, कि अनेक फायरों के बावजूद किसी को कोई फायर न लगे ओर जिन खेतों की तरफ भागते में फायर किये गये उनके कारतूस के खोखे कहां गये उनके बारे में भी अनुसंधान मौन है। फायरिंग की शुरुवात जिस स्थान पर बताई गयी है, वह कच्ची सैर से बंबा नहर के ऊपर जाने के लिए चढ़ाई के रूपें बताई गई है और ट्रैक्टर ट्रॉली

का एल अक्षर के आकार के रूप में आ जाना बताया गया है, एल अक्षर में यदि वाहन हो और फायरिंग की जाये तो लक्ष्य सीधा दिखाई देगा, ऐसे में भूसे की पोटली और ट्राली में फायर करने पर गोली लगने का कथानक निश्चित रूप से दूषित स्वरूप का है और चूंकि पक्षकारों के मध्य पुरानी रंजिश है इसलिए विचाराधीन घटना के बारे में रंजिश का बिन्दु फरियादी पक्ष की बजाया आरोपीगण के आधार को बल प्रदान करता है। यह इस परिस्थिति से भी प्रकट होता है, कि साक्ष्य में यह तथ्य भी आया है, कि जब वर्तमान प्रकरण की घटना घटित होना बताई जा रही है उसके करीब दो माह पहले निवेश के भाई अवधेश की हत्या का प्रकरण आरोपीगण सहित अन्य पर दर्ज था और आरोपीगण गिरफ्तार नहीं हुये थे, हालांकि साक्षियों ने आरोपीगण के हाजिर होने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से उक्त प्र.पी.-06 की रिपोर्ट लिखाये जाने के सुझाव के सिरे को अवश्य खारिज कर दिया है, किंतु परिस्थितियां फरियादी पक्ष का समर्थन घटना की वास्तविकता को लेकर नहीं कर रही है।

32. उपरोक्त साक्षियों की अभिसाक्ष्य में यह भी बिन्दु आया है, कि बंबा की जो नहर थी उसकी चौड़ाई भी 10-12 फिट थी और उसमें करीब 6 इंच पानी भी था, और बंबा कूदकर आरोपीगण द्वारा पीछा किया जाना भी बताया है, अर्थात् फरियादी पक्ष भी बंबा कूदकर पानी में से निकले होंगे, लेकिन जिस तेजी से भागना और पीछा होना बताया जा रहा है, उस हिसाब से पहने हुये कपड़े भी गंदे हुये होंगे, लेकिन इस बात का भी कोई उल्लेख आंकलन नहीं किया न कहीं उल्लेख किया, इससे भी बताया गया कथानक काल्पनिक स्वरूप का परिलक्षित होता है, क्योंकि जिसका पुरानी रंजिश पर से जान से मारने की नियत से पीछा किया जाये और फायरिंग की जाये वेसी स्थिति में किसी को कोई चोट न लगना कथानक की विश्वसनीयता को धूमिल करता है, यह भी उल्लेखनीय है, कि धारा 307 सहपठित धारा-34 भा0दा0वि0 के अंतर्गत अपराध बताया गया है जो कि संज्ञेय अपराध है और घटना के तत्काल बाद उसकी रिपोर्ट थाने पर जाकर की गयी ऐसे में प्र.पी.-06 का लेखीय आवेदनपत्र देने की आवश्यकता क्यों पड़ी इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है न ही ऐसा बताया गया है, कि मौखिक रिपोर्ट करने पर पुलिस के द्वारा लिखित आवेदन की मांग की गयी हो तथा प्र.पी.-06 के लिखित आवेदन की कोई जांच नहीं की गयी सीधे उस पर से एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध की गयी जबकि मौखिक रूप में रिपोर्ट स्वभाविक रूप से लिखाई जाती है। ऐसे में रिपोर्टकर्ता विपिन अ0सा0-05 का यह कहना कि थाने पर ही पुलिस वाले से आवेदन लिखवाया बचाव पक्ष द्वारा प्रकट शंका को बल देता है, कि अवधेश की

हत्या के मामले में अभियुक्तों के गिरफ्तार न हो पाने को लेकर उक्त घटना का उद्भव हुआ है, ऐसे में जिस प्रकार के अभिसाक्ष्य विपिन अ0सा0-05, निवेश अ0सा0-08, अशोक शर्मा अ0सा0-09 और शैलेन्द्र अ0सा0-10 के द्वारा किये गये हैं वह विश्वसनीय श्रेणी में नहीं आते हैं और उनके अभिसाक्ष्य से आरोपीगण की घटना कारित करने में उपस्थिति भी संदिग्ध स्वरूप की है और उनके पुलिस कथनों प्र.डी.-01 लगायत प्र.डी.-04 तथा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में तात्विक स्वरूप का विरोधाभास और विसंगतियां भी हैं। ऐसे में उनके आधार पर आरोपीगण का हत्या के प्रयत्न का कोई आशय रहा हो यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

33. प्र.पी.-06 की कोई जांच नहीं की गयी है, जो आर्टिकल ए-1 की पल्ली और 315 बोर के कारतूस के खोखे प्र.पी.-09 मुताबिक बरामद बताये गये हैं, वह भी घटना को नहीं जोड़ते हैं और प्र.पी.-06 लगायत प्र.पी.-09 एवं प्र.पी.-11 के संबंध में विवेचक की अभिसाक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं रह जाती है, बल्कि विवेचक द्वारा स्वच्छतापूर्वक विवेचना नहीं किया जाना परिलक्षित होता है, क्योंकि लोप और विसंगतियां विचाराधीन घटना के संबंध में उत्पन्न हैं और उनका स्पष्टीकरण नहीं है, किंतु उपरोक्त स्थिति अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी बचाव साक्ष्य का विश्वसनीय होना नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि यह सुस्थापित विधि है कि बचाव साक्षी को भी अभियोजन साक्षी की तरह ही देखा जाना चाहिए। केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं करना चाहिए कि वह बचाव पक्ष द्वारा पेश किया गया है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **मनीष कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2009 सीआरएलजे पेज-115** में मार्गदर्शित किया गया है।

34. आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के उक्त अभिवाक के संबंध में डाक्टर राकेश रायजादा ब.सा.-01 के रूप में परीक्षित कराये गये हैं, जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में एम.बी.बी.एस. और रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री प्राप्त कर कोणार्क एक्सरे एवं अल्ट्रासाउण्ड के नाम से ग्वालियर में पडाव थाने के सामने प्राइवेट क्लीनिक सन 1993 से प्रारंभ करना बताया है। आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन का उक्त क्लीनिक पर वर्ष 2009 से रिशेप्सनिस्ट के पद पर कार्यरत होना बताते हुए क्लीनिक पर उसकी कार्य अवधि सुबह 10:30 से लेकर रात 08:30 बजे तक की बतायी है। उसकी क्लीनिक पर 06 कर्मचारी कार्यरत होना बताया गया है तथा उक्त क्लीनिक का क्षेत्रफल साक्षी ने 08X16 वर्गफीट में होना बताया है, उसी में अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे, सी.टी. स्कैन संचालित रहती है।

35. ऐसे में उक्त चिकित्सक जितने क्षेत्रफल में अपना क्लीनिक बताता है, उसमें स्वयं सहित 06 कर्मचारियों और उपकरणों का स्वभाविक रूप से संचालित रहना संभव नहीं है और मरीजों के बैठने की व्यवस्था हो तो और भी संभव नहीं है, जबकि चिकित्सक उक्त बचाव साक्षी डाक्टर रायजादा के मुताबिक आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन जिसका अल्ट्रासाउण्ड मशीन के पास ही बैठना बताया है। उसका कार्य क्लीनिक पर मरीजों को दिखाना, उसके द्वारा तैयार की गयी रिपोर्टें मरीजों को देना तथा मरीजों को बैठाना, पानी आदि पिलाने का बताया है, वह कोई भी उपकरण संचालित नहीं करता है। ऐसे में आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन का क्लीनिक पर संपादित कार्य का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि ब.सा.-01 ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो रिपोर्टें जिन्हें वह तैयार करता था, उन्हें किसी पंजी में दर्ज कर संबंधित मरीजों को प्राप्त करायी जाती थी या नहीं। ऐसे में डाक्टर राकेश रायजादा ब.सा.-01 का अभिसाक्ष्य स्वभाविक स्वरूप का नहीं है और उसके आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन से अधीनस्थ कर्मचारी होने से हितबद्धता भी झलकती है, क्योंकि जो कार्य के घण्टे बताये गये हैं, वह भी दिन के सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 08:30 बजे तक लगातार कार्य किया जाना संभव नहीं है। जैसा कि कल्लू उर्फ मदुसूदन ब.सा.-03 के रूप में कहता है और लंच आदि भी क्लीनिक पर दोपहर में सुविधा अनुसार कर लेना बताता है।

36. डाक्टर राकेश रायजादा ब.सा.-01 का अभिसाक्ष्य इस आधार पर भी स्वभाविक नहीं लगता है कि वह अपने उक्त क्लीनिक पर अपने नियुक्त 06 कर्मचारियों की उपस्थिति का जो रजिस्टर संधारित करता है, उसमें कर्मचारियों के हस्ताक्षर की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि चिकित्सक स्वयं ही कर्मचारियों की उपस्थिति, अनुपस्थिति दर्ज करने की कार्यवाही करना बताता है और यह कहता है कि वह सामान्यतः कर्मचारियों की प्र.डी.-05 की पंजी में उपस्थिति ड्यूटी समाप्त होने पर रात 08:30 बजे प्रतिदिन करता है। सुबह ड्यूटी प्रारंभ होने पर प्रविष्टि नहीं करता है तथा किसी कर्मचारी के बिलंव से आने के संबंध में उसका पैरा-06 में यह कहना रहा है कि वह केवल 30 मिनट तक ही कर्मचारी की प्रतीक्षा करता है, उसके बाद ही रजिस्टर में अनुपस्थिति दर्ज करता है। प्रतिदिन का प्रमाणीकरण वह पंजीपर नहीं लगाता है। उक्त चिकित्सक का यह कहना भी अस्वाभाविक है कि वह अपने कर्मचारियों को प्रत्येक दो घण्टे में चेक करता है, क्योंकि यदि ऐसा क्लीनिक कोई चिकित्सक जिसमें 06 कर्मचारी नियुक्त हों, वहां निश्चित रूप से कार्य की अधिकता होगी और अन्य कर्मचारियों का प्रत्येक दो घण्टों में नियमित

रूप से चैक करना स्वाभाविक रूप से संभव ही नहीं है । उक्त चिकित्सक ने आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के जमानत स्तर पर प्र.पी.-06 का शपथपत्र माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर में इस आशय का देना बताया है कि घटना के समय कल्लू उर्फ मदुसूदन उसके क्लीनिक पर कार्यरत था, घटना में शामिल नहीं था । उक्त शपथपत्र जमानत के प्रयोजन तक ही सीमित है, उसे गुणदोषों के रूप में नहीं लिया जा सकता है, इसलिये उसकी उपयोगिता नहीं है।

37. ब.सा.-01 का जिस तरह का अभिसाक्ष्य आया है उसकी अस्वाभाविकता स्वयं आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के ब.सा.-03 के रूप में दिये गये अभिसाक्ष्य के पैरा-05 में भी प्रकट होती है, जिसमें कल्लू उर्फ मदुसूदन ने डाक्टर रायजादा के ग्वालियर के कोणार्क अस्पताल की 04 शाखायें पडाव, शिंदे की छावनी, और हनुमान चौराहा पर संचालित बतायी हैं, जिनका संचालक डाक्टर राकेश रायजादा ही करते हैं, लेकिन डाक्टर राकेश रायजादा के जो कार्य करने के घण्टे बताये हैं, उसमें पडाव स्थित क्लीनिक पर जहां कि वह स्वयं काम करता है, वहां डाक्टर राकेश रायजादा का सुबह 10:30 बजे आ जाना फिर 03:00, 03:30, 04:00 बजे शिंदे की छावनी वाले अस्पताल के ऊपर निवास में चले जाना फिर शाम को 05:00, 05:30 बजे पुनः उक्त क्लीनिक पर ही वापिस आ जाना वह बताता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि इतना समय डाक्टर राकेश रायजादा अपने पडाव स्थित क्लीनिक पर व्यतीत करते हैं तो अन्य शाखाओं में जाकर उनका संचालन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसे में प्रत्येक 02 घण्टे में कर्मचारियों को नियमित रूप से चैक करना स्वतः ही खण्डित हो रहा है।

38. ब.सा.-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन क्लीनिक पर कभी मोटरसाइकिल से कभी टैम्पो से आता जाता था और ग्वालियर में ही रहता है । यह भी स्वीकार किया है कि उसके क्लीनिक के नजदीक ग्वालियर रेल स्टेशन और बस स्टैण्ड है, थाना सामने है। मोटरसाइकिल से या अन्य साधनों से घटनास्थल की दूरी उक्त क्लीनिक से एक घण्टे में या उससे कुछ अधिक समय में तय की जा सकती है, क्योंकि घटनास्थल और उक्त क्लीनिक की दूरी करीब 40 किलोमीटर के आसपास है, जिसका न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है किंतु अभियोजन की प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपीगण की बताई घटना के बारे में ही संदेह उत्पन्न है।

39. ब.सा.-01 डाक्टर रायजादा ने पैरा-03 में प्रमाणीकरण और

आरोपी की पृष्ठ क0-12 के सरल नंबर-05 की प्रविष्टि अपनी हस्तलिपि में करना बताया है। यदि 04 क्लीनिकों का संचालन स्वयं उक्त चिकित्सक करे तो सारा काम चिकित्सीय व्यवसाय के साथ करा पाना संभव नहीं है, इससे भी उक्त चिकित्सक की आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन से नियोजन के रिश्ते के चलते हितबद्धता झलकती है। उक्त चिकित्सक का पैरा-06 में दिया गया यह अभिसाक्ष्य अतिशयोक्तिपूर्ण है जिसमें वह यह कहता है कि "उसके क्लीनिक का कोई कर्मचारी कार्य अवधि के दौरान अनुपस्थित होकर नहीं जाता है, न ही आजतक गया है।" क्योंकि जो अभिलेख पर डाक्टर रायजादा के क्लीनिक की कार्य पद्धति के बारे में तथ्य आये हैं उससे तो डाक्टर रायजादा स्वयं भी पडाव स्थित अपने क्लीनिक पर पूरा समय नहीं रहते हैं और कल्लू उर्फ मदुसूदन के मुताबिक लगभग दिन के 03:00, 03:30 बजे से लेकर 05:00, 05:30 बजे की अवधि में डाक्टर रायजादा अपने घर पर चले जाते हैं, इस अवधि में उनके कौन कर्मचारी क्या कर रहे हैं, इसका नियंत्रण किसीकी देखरेख में होती है, यह नहीं बताया गया है, इसलिए ब.सा.-01 की अभिसाक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता है।

40. श्री आर.डी. गुप्ता अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृ0 **अन्ना एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ हैदराबाद ए.आई.आर.-1956 हैदराबाद पेज-99** में यह प्रतिपादित किया गया है कि अन्यत्र होने का अभिवाक प्रारंभिक स्तर पर ही उठाना चाहिये तथा मौखिक साक्ष्य के अलावा दस्तावेजी प्रमाण भी देना चाहिये। आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन एवं गिरीश के द्वारा ग्वालियर में पहले से परिवार रहित निवासरत होने का अभिवाक अवश्य लिया गया है, किन्तु उसके संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से उक्त अभिवाक स्थापित नहीं माना गया है, क्योंकि जहां तक आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के डाक्टर रायजादा के क्लीनिक पर होने संबंधी मौखिक व प्र.पी.-5 और 6 का दस्तावेजी प्रमाण पेश किया गया है, उसे विश्वसनीय नहीं पाया गया है। इसके लिए आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के द्वारा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य में प्र.डी.-07 का राशनकार्ड पेश किया गया है, जो वर्ष 2012 में बनवाया गया है, जिसके संबंध में कल्लू उर्फ मदुसूदन ने यह स्वीकार किया है कि उसमें खाद्यान्न प्राप्त करने की कोई भी प्रविष्टि नहीं है तथा भारतीय निर्वाचन आयोग का पहचानपत्र प्र. डी.-08 के रूप में पेश किया गया है, जो वर्ष 2007 का होकर 297 मेला रोड ग्वालियर, ग्वालियर निर्वाचन क्षेत्र-15 का है और प्र.डी.-09 का जो ड्राइविंग लाइसेंस आर0टी0ओ0 ग्वालियर से जारी हुआ है, वह सन 2005 का है, जिससे यह तो स्पष्ट होता है कि आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन घटना के पहले से ग्वालियर में रह रहा है।

41. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गये अन्य न्याय दृ० ए०आई०आर० 1990 सु०को० पेज-1628 बी०एन० सिंह वि० स्टेट ऑफ गुजरात में भी अन्यत्र होने का अभिवाक लिया गया है। न्याय दृ० के मामले में जिस आरोपी द्वारा यह अभिवाक लिया गया था वह घटनास्थल जो कि महाराष्ट्र का बंबई के अलावा दूसरा जिला था, वहां की घटना थी, और आरोपी ने मौके पर न होकर बंबई में होने का अभिवाक लिया था और उसके समर्थन में जिस जोशी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर-08 में वह ठहरा था, उसका मूल रजिस्टर साक्ष्य में पेश किया गया है, जिसके मुताबिक घटना के एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक आरोपी उसमें ठहरा था, ऐसी परिस्थिति विचाराधीन मामले में नहीं है।
42. इसी प्रकार अन्य प्रस्तुत न्याय दृ० स्टेट ऑफ यू.पी. वि० मोतीराम आदि ए.आई.आर. 1990 सु.को. 1709 में भी उक्त आधार के अलावा पुरानी रंजिश और सड़यंत्र का आधार लिया गया था। न्याय दृ० के मामले में कुल 41 अभियुक्त थे, पुरानी रंजिश और दीवानी मुकदमेबाजी का आधार था, जैसा कि विचाराधीन मामले में अवश्य है, किन्तु जिन अभियुक्तों ने अन्यत्र होने का अभिवाक लिया था, उसके संबंध में इस आशय की अकाट्य साक्ष्य थी कि घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा अन्यत्र होते हुए गोरखपुर भारतीय रेल लाइन पर रेलवे स्टेशन खोडायार और गौरी बाजार के बीच बिना टिकिट रेल यात्रा की थी और उन्हें टी.टी. द्वारा पकड़ा गया था। जुर्माना न अदा करने पर उन्हें रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेजा गया था और घटना के एक दिन पहले से लेकर 04 दिन बाद तक वे जेल में रहे थे, इस आधार पर उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा झूठा फंसाया जाना माना था। ऐसी कोई परिस्थिति विचाराधीन मामले में नहीं है, इसलिये उक्त न्याय दृ० प्रकरण में प्रयोज्य नहीं होता है।
43. अन्य प्रस्तुत किया गया न्याय दृ० ए०आई०आर० 2002 सु. को० पेज-3569 जयंतीभाई वि० स्टेट ऑफ गुजरात में भी अन्यत्र होने के अभिवाक के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर मान्य किया गया था कि न्याय दृ० के मामले में इस बिन्दु पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से अन्यत्र होने का आधार इस तरह से प्रमाणित हुआ था कि घटना रात 08:00 बजे घटी थी और आरोपी घटना के पूर्व से ही आधे दिन पूर्व अन्यत्र चले गये थे, जिन्होंने बस से यात्रा करने के टिकिट और जिस कारण से वे अन्यत्र

गये थे, उसका प्रमाण दिया था। न्याय दृ० के मामले में आरोपीगण जिनमें याचिका की सुनवाई के लिए अपने घर से एडिशनल डब्लपमेंट कमिशनर के यहां गये थे और घटना दिनांक को उनकी पेशी नियत थी तथा घटना के पूर्व से वे चले गये थे और घटना के बाद दूसरे दिन सुबह वे नियत स्थान पर पहुंचे थे। ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित पाया गया था। इस प्रकरण में भी इस तरह का कोई अकाट्य प्रमाण नहीं है। डाक्टर रायजादा का शपथ और उसकी पंजी जिस तरह से संधारित है, वह उसका ठोस प्रमाण नहीं देता है और प्रकरण में उक्त न्याय दृ० की प्रयोज्यता नहीं है।

44. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्याय दृ० ए.आई.आर. 1981 सु०को० पेज-1230 सेवी विस्द्ध स्टेट ऑफ तमिलनाडु में प्रतिपादित सिद्धांत लागू किए जाने योग्य नहीं है। न्याय दृ० के मामले में मूल एफ आई आर को छिपाने हुए नवीन एफ आई आर पेश की गयी थी और न्यायालय के आदेश के बाद भी उसे पेश नहीं किया गया तथा घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों का अभिसाक्ष्य नाटकीय स्वरूप का पाया गया था, जबकि विचाराधीन मामले में ऐसा कतई नहीं है। अन्य प्रस्तुत किए गये न्याय दृ० ए०आई०आर० 1994 सु०को० पेज-549 स्टेट ऑफ पंजाब वि० जीतसिंह जोकि हितबद्ध साक्षी के संबंध में है, वह भी लागू किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि न्याय दृ० के मामले में हितबद्ध साक्षी का कथन एफ आई आर से भिन्नतापूर्ण आया था। घटनास्थल पर उसकी चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में उपस्थिति निर्धारित नहीं हुई थी। जिसके आधार पर दोषमुक्ति की गयी थी।

45. गिरीश की ओर से दूसरे बचाव साक्षी विनोद जैन ब.सा.-02 पेश किया गया है, जिसने गिरीश को अपने आर्य नगर, मुरार, ग्वालियर में स्थित मकान में वर्ष 2010 से किरायेदार की हैसियत से रहना बताते हुए दिनांक-12/03/2013 को दिन के 02-03:00 बजे गिरीश को अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आना और उसके आवासीय मकान में ही बाहरी कमरे में संचालित दुकान पर बैठना बताया है, जिसका यह भी कहना है कि गिरीश बच्चों को स्कूल छोड़कर टाइमपास करने के लिए उसकी दुकान पर रोजाना आकर बैठ जाता था। साक्षी ने यह भी कहा है कि वह सुबह 07 बजे से लेकर रात 10-10:30 बजे तक दुकान खोलता है। दिन में 02-03 घण्टे के लिए खाना आदि खाने घर के अंदर जाता है, उस दौरान उसका भाई दुकान पर बैठता है। अर्थात् ब.सा.-03 के पास आरोपी गिरीश का रोजाना का उठना बैठना वह कह रहा है, किन्तु उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि गिरीश ग्वालियर में रहकर क्या

काम करता है। साक्षी को गिरीश की दी गयी जानकारी के आधार पर केवल इतना पता है कि गिरीश की गांव बिरखडी में जमीन है और बंटाई से अनाज उसके पास आ जाता है। गिरीश कहीं भी आने जाने की सूचना उसे देकर नहीं जाता है। उक्त बचाव साक्षी से आरोपी गिरीश का ग्राम बिरखडी से कोई संबंध न हो ऐसा स्थापित नहीं होता है और चूंकि अभियोजन साक्षी विश्वसनीय नहीं पाये गये हैं, इसलिए आरोपीगण घटना के समय अन्यत्र थे या नहीं इस बारे में निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं रहा जाती है।

46. अन्य परीक्षित साक्षियों में से अनिल भारद्वाज अ0सा0-01 आरोपी गिरीश का दिनांक 06/05/13 का प्र.पी.-01 गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक गिरफ्तारी का साक्षी है, जिसका उसने समर्थन नहीं किया है। प्र.पी.-01 का दूसरे साक्षी अजय अ0सा0-11 ने भी समर्थन नहीं किया है, किंतु गिरफ्तारी को विवेचक के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डेय अ0सा0-13 ने उसकी गिरफ्तारी करना बताई है, किंतु गिरफ्तारी से घटना की कोई कड़ी नहीं जुड़ती है, क्योंकि गिरफ्तारी घटना के चार दिन बाद की है। आरोपी गिरीश की गिरफ्तारी उपरांत प्र.पी.-05, घटना में प्रयुक्त कट्टा कारतूस की बरामदगी हेतु धारा 27 साक्ष्य विधान के तहत लिया गया मेमोरेण्डम कथन है, जिसके संबंध में विवेचक सुभाष पाण्डेय अ0सा0-13 ने और उसका समर्थन उसके अधीनस्थ पुलिस कर्मी आरक्षक राजेश सिंह अ0सा0-04 एवं आरक्षक जितेन्द्र अ0सा0-06 ने अवश्य किया है, तथा प्र. पी.-04 के जब्ती पत्रक मुताबिक ए0एस0आई0 ए0एस0 तोमर द्वारा आरोपी के मुरार स्थित आवास में से 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस के जब्त करना बताया है, किंतु प्र.पी.-04 बाबत ए0एस0आई0 ए0एस0 तोमर का अभिसाक्ष्य नहीं कराया गया है, आरक्षक उदय सिंह अ0सा0-03 और आरक्षक जितेन्द्र सिंह अ0सा0-06 ने अवश्य कट्टे कारतूस का जब्त होना बताया है, किंतु मूल घटना ही संदिग्ध पायी गयी है। इसलिए प्र.पी.-01, प्र.पी.-05 एवं प्र.पी.-04 के आधार पर आरोपी गिरीश की प्रश्नगत घटना में संलिप्तता कतई प्रमाणित नहीं होती है।

47. आरोपी कल्लू उर्फ महुसूदन को प्र.पी.-03 के गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक अन्य मामले में बन्द होने से न्यायालय से औपचारिक गिरफ्तारी की गयी है, जिसके बारे में सुभाष पाण्डेय अ0सा0-13 का समर्थन आरक्षक उदय सिंह अ0सा0-03 और आरक्षक जितेन्द्र अ0सा0-06 ने किया है, तथा प्र.पी.-02 के मेमोरेण्डम कथन मुताबिक घटना में प्रयुक्त कट्टा कारतूस की बरामदगी हेतु आरोपी से डिस्कवरी करना बताया है,

जिसका समर्थन आरक्षक गोपसिंह अ0सा0-02 ने अपने अभिसाक्ष्य में अवश्य किया है, जिसके आधार पर प्र.पी.-7 ए मुताबिक 315 बोर का कट्टा मय मिस राउण्ड जस्त करना बताया गया है, जिसका समर्थन आरक्षक जितेन्द्र यादव ने तो किया है, किंतु उसके बावत विवेचक सुभाष पाण्डेय ने अभिसाक्ष्य नहीं दिया है।

48. आरोपी अनिल को प्र.पी.-12 मुताबिक दिनांक 29/10/14 को न्यायालय गोहद से औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाना बताया गया था, जिसके संबंध में आरक्षक गौरीशंकर अ0सा0-12 ने अपना अभिसाक्ष्य दिया है, तथा प्र.पी.-10 मुताबिक थाना उटीला जिला ग्वालियर के अपराध क्रमांक 107/2014 धारा-307 भा0द0वि0 एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं 11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट में पुलिस मदभेड के दौरान पकड़े जाने पर बरामद होना बताया है, जिसके साथ नोकिया कंपनी का मोबाइल और 500/-रूपये भी बरामद हुये थे, किंतु इस प्रकरण में तीनों आरोपीगण की अ0सा0-05, अ0सा0-08 लगायत अ0सा0-10 के अभिसाक्ष्य मुताबिक घटना में संलिप्तता संदिग्ध पाई गई है। इसलिए उपनिरीक्षक बी0एस0 कौरव अ0सा0-14 के द्वारा की गई कार्यवाही का प्रकरण में कोई महत्व नहीं है।

49. इस तरह से अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी समग्र साक्ष्य तथ्य व परिस्थितियों के आधार पर अभियोजन के कथानक मुताबिक बताई गई घटना का उद्भव ही संदिग्ध पाया गया है और अभियोजन की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाई गई है। इसलिए अभियोजन युक्ति युक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करने में असफल है, कि आरोपीगण ने दिनांक 02/05/2013 को शाम करीब 07:15 बजे ग्राम बिरखडी फरियादी विपिन शर्मा के खेत के पास बंबा नहर के किनारे थाना गोहद चौराहे के क्षेत्रांतर्गत आपस में मिलकर फरियादी पक्ष पर प्राण घातक हमला करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में 315 बोर के देशी कट्टों से जान से मारने की नियत से फायरिंग की जिससे यदि फरियादी पक्ष या उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती तो वे हत्या के अपराध के दोषी होते। फलतः आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए धारा 307/34 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

50. इस प्रकरण में आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन एवं गिरीश पूर्व से जमानत पर है उनके प्रकरण में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं आरोपी अनिल विरथरिया न्यायिक निरोध में है उसकी दोषमुक्ति की जेल वारंट पर टीप लगाकर भेजी जावे।

51. आरोपीगण के धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किये जायें।
52. प्रकरण में जब्तशुदा बताये गये 315 बोर के कट्टे व कारतूस के संबंध में सत्र प्रकरण कं0 303/13 निर्णय दिनांक 23/09/16 में निराकरण जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जाने का आदेश कर किया गया है क्योंकि मूल जब्ती उक्त सत्र प्रकरण में ही बताई गई थी। तथा इस प्रकरण में प्रथक से जब्त भूसा भरने की सफेद प्लास्टिक की पल्ली आर्टिकल ए-1 एवं दो 315 बोर के कारतूसों के खोखे बताये गये हैं, आर्टिकल ए-01 की पल्ली मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात विधिवत् नष्ट की जावे तथा दो खोखे 315 बोर के कारतूसों के निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण हो।
53. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 01 अक्टूबर 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड